न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 185/2020
3. उनवान : सरकार जरिये राजेन्द्र बूसर, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

श्री नाथू लाल मीणा किरायेदार केयर ऑफ श्री शंकर लाल मीणा मकान मालिक, नायको का टीबा, कच्ची बस्ती, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर थाना, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 22.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह राठौड नाथू लाल मीणा की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री राजेन्द्र बूसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 16.02.2015 को पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर में आग लगने की व वाणिज्यिक सिलेण्डरों के मिलने की सूचना पर उक्त पते पर पंहुचे। पुलिस द्वारा प्रस्तुत तहरीर के अनुसार आग लगने की सूचना मिलने पर उक्त पर पहुंचे व पानी डालकर कमरे में रखे सिलेण्डरों को बुझाया व फायर बिग्रेड को बुलाकर आग को बुझाया गया। मकान मालिक श्री शंकर लाल ने बताया कि यह कमरा नाथू लाल ने एक माह से किराये पर ले रखा है तथा सिलेण्डर उसी के हैं, आग लगने के कारण नाथू लाल भाग गया। मौके से 20 सिलेण्डर मिले, जिनमें 16 सिलेण्डर कॉमर्शियल बडे व 4 छोटे घरेलू सिलेण्डर है। इसमें 10 बडे सिलेण्डर भरे हुये, इण्डेन के 4 छोटे घरेलू सिलेण्डर (2 खाली व 2 भरे), भारत गैस के 4 बडे सिलेण्डर(2 भरे व खाली) एवं एचपी गैस के 2 सिलेण्डर बडे खाली पाये गये। साथ ही कमरे में एक सिलेण्डर तौलने का कांटा व एक लोहे की बांसुरी एवं 91 प्लास्टिक के ढक्कन मिले। सूचना मिलने पर प्रार्थी द्वारा मय जांच दल के मौके पर पंहुचकर उक्त सामान को जब्त किया गया। मकान मालिक ने बताया कि नाथू लाल द्वारा छोटे सिलेण्डरों से बडे सिलेण्डरों में गैस भरकर विक्रय करने कार्य किया जाता है। जानकारी होने पर उसे कमरा खाली करने हेतु कहा गया। आज भी उसे गैस रिफिलिंग करते हुये देखा था। उसे मना भी किया और इसी दौरान आग लग गयी। इसलिये प्रकरण अवैध रुप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण एवं रिफिलिंग करना प्रतीत होने पर 4 घरेलू सिलेण्डर आईओसी, 16 वाणिज्यिक सिलेण्डर(4 बीपीसी+2 एचपीसी+10 आईओसी) मय 236.400 किग्रा. एलपीजी, एक तौल मशीन, एक लोहे की बांसुरी व 91 सिलेण्डर कैप को जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक् रुप से तामील है। अप्रार्थी नाथू लाल मीण की ओर से दिनांक 13/07/2022 को अधिवक्ता श्री जितेन्द्र राठौड ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अधिवक्ता की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 22.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 16.02.2015 को जब्त घरेलू सिलेण्डरों का अप्रार्थी नाथू लाल मीणा द्वारा अवैध भण्डारण व रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। मकान मालिक श्री शंकर लाल ने बताया कि सारे सिलेण्डर व अन्य जब्त सामान किरायेदार नाथू लाल के हैं। वह गैस रिफिलिंग का कार्य करता है, उसे मकान खाली करने के लिये भी बोल दिया था। दिनांक 16.02.2015 को भी श्री शंकर ने नाथू लाल को गैस रिफिलिंग करते हुये देखा और मना भी किया परन्तु उसी दौरान आग लगने की घटना हो गयी। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से संबंधित दस्तावेज मौके पर व आज तक उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों से गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाना सिद्ध होता है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान 4 घरेलू सिलेण्डर आईओसी, 16 वाणिज्यिक सिलेण्डर(4 बीपीसी+2 एचपीसी+10 आईओसी) मय 236.400 किग्रा. एलपीजी, एक तौल मशीन, एक लोहे की बांसुरी व 91 सिलेण्डर कैप को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।